

[2023] 1 एस. सी. आर. 449

क.

अजय दबरा

वी.

प्यारे रैम और ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 2023 का 716) 31 जनवरी, 2023

【पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और सुधांशु धूलिया, जे. जे.】

सीमा अधिनियम, 1963:एस. 5-अपील दायर करने में देरी-की सजा-आयोजित:कानून के तहत निर्धारित अवधि के भीतर एक अपील दायर की जानी चाहिए-विलंबित अपीलों को केवल तभी माफ किया जा सकता है जब अदालत के समक्ष देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखाया जाए-वर्तमान मामले में, देरी को अदालत की संतुष्टि के लिए समझाया नहीं गया है-पहली अपील दायर करने में 254 दिनों की देरी के लिए अपीलकर्ता द्वारा सौंपा गया एकमात्र कारण यह था कि उसके पास अदालत शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था-यह देरी की माफी के लिए पर्याप्त कारण नहीं पाया गया क्योंकि अपीलकर्ता एक संपन्न व्यवसायी और एक होटल व्यवसायी था-यहां तक कि यह माना जाता है कि अपीलकर्ता के पास धन की कमी थी और वह अदालत शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं था, कुछ भी उसे अपील दायर करने से नहीं रोकता था क्योंकि दोषपूर्ण आवेदन दायर करने का प्रावधान है।⁴ न्यायालय शुल्क अधिनियम में कहा गया है कि न्यायालय शुल्क के बिना उच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती है।^{s.149} सी. पी. सी., जो अदालत को बाद के चरण में व्यक्ति को अदालत की फीस का भुगतान करने की अनुमति देने की शक्ति देता है, एस के लिए एक अपवाद या यहां तक कि एक परंतुक के रूप में कार्य करता है।⁴ न्यायालय शुल्क अधिनियम-अपील दायर करने में देरी के लिए दिए गए कारण देरी को माफ करने का एक वैध कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपीलार्थी कानून के प्रावधानों के तहत अदालत शुल्क में कमी की अपील दायर कर सकता था-इसलिए, उच्च न्यायालय ने एस को खारिज करने में सही था।⁵ अपीलार्थी का आवेदन-हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया-न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870।हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972:s.118-गैर-कृषकों को भूमि का हस्तांतरण-यू/एस।118 1972 का अधिनियम,

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

449 ए.

450 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

केवल एक कृषक ही हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीद सकता है, जिसका अर्थ होगा कि एक भू-स्वामी जो हिमाचल प्रदेश में व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमि पर खेती करता है-यदि किसी गैर-कृषक को भूमि खरीदनी है, तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है-एस का पूरा उद्देश्य।^{118 1972} के अधिनियम का उद्देश्य छोटी जोत वाले किसानों की रक्षा करना है-

हिमाचल प्रदेश में भूमि को गैर-कृषक को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है-इसका उद्देश्य गरीब व्यक्तियों की छोटी कृषि जोत को बचाना और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के बड़े पैमाने पर रूपांतरण को रोकना भी है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

ग

पकड़ना: **1.** कानून के तहत निर्धारित अवधि के भीतर एक अपील दायर की जानी चाहिए। विलम्बित अपीलों को केवल तभी माफ किया जा सकता है जब न्यायालय के समक्ष विलम्ब का पर्याप्त कारण दिखाया जाए। अपीलार्थी जो विलम्ब की क्षमा चाहता है, उसे प्रत्येक दिन की विलम्बता की व्याख्या करनी चाहिए। यह सच है कि अदालतों को देरी को माफ करते हुए अपने दृष्टिकोण में पांडित्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, और प्रत्येक दिन की देरी के स्पष्टीकरण को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन तथ्य यह है कि देरी के लिए एक उचित स्पष्टीकरण होना चाहिए। वर्तमान मामले में, इस देरी को अदालत की संतुष्टि के अनुसार नहीं समझाया गया है। पहली अपील दायर करने में **254** दिनों की देरी के लिए अपीलार्थी द्वारा दिया गया एकमात्र कारण यह था कि उसके पास अदालत की फीस का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था! यह देरी को माफ करने का पर्याप्त कारण नहीं पाया गया क्योंकि अपीलार्थी एक समृद्ध व्यवसायी और एक होटल व्यवसायी था। किसी भी मामले में, यहां तक कि यह तर्क के लिए भी माना जाता है कि अपीलार्थी के पास धन की कमी थी, प्रासंगिक समय पर और अदालत शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं था, उसे अपील दायर करने से कुछ भी नहीं रोकता था क्योंकि कानून के तहत दोषपूर्ण अपील दायर करने का प्रावधान है, यानी एक अपील जो अदालत शुल्क के संबंध में कम है, बशर्ते अदालत द्वारा दिए गए समय के भीतर अदालत शुल्क का भुगतान किया जाए। धारा **4** के संदर्भ में, अदालत शुल्क के बिना उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर नहीं की जा सकती है, यदि वह निर्धारित है। लेकिन इस प्रावधान को सी. पी. सी. की धारा **149** के साथ पढ़ा जाना चाहिए। [पैरा **5**] **[453-एफ-एच; 454-ए-ई]** ए

डी.

ई.

च

जी.

एच.

451

अजय दाब्रा बनाम प्यारे राम और ओआरएस।

2. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी न्यायालय शुल्क खरीदने में सक्षम है। उन्होंने अंततः अदालत की फीस का भुगतान किया, हालांकि देर से। लेकिन फिर, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, अपील दायर करने में देरी के लिए दिए गए कारण देरी को माफ करने का एक वैध कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपीलार्थी कानून के प्रावधानों के तहत अदालत शुल्क में कमी की अपील दायर कर सकता था। इसलिए, उच्च न्यायालय अपीलार्थी के धारा **5** के आवेदन को खारिज करने में सही था क्योंकि अपर्याप्त धन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता था। यह पूरी तरह से एक अलग मामला होता यदि अपीलार्थी ने सी. पी. सी. की धारा **149** के संदर्भ में अपील दायर की होती और उसके बाद घाटे वाली अदालत की फीस का भुगतान करके दोषों को हटा दिया होता। जाहिर है कि ऐसा नहीं किया गया है। [पैरा **9**] **[457-डी-जी]**

ग

3. 1972 के अधिनियम की धारा **118** का पूरा उद्देश्य छोटी जोत वाले किसानों की रक्षा करना है। हिमाचल प्रदेश में भूमि किसी गैर-कृषक को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, और यह एक उद्देश्य के साथ है। इसका उद्देश्य गरीब व्यक्तियों की छोटी

कृषि जोत को बचाना और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के बड़े पैमाने पर रूपांतरण को रोकना भी है। एक व्यक्ति जो कृषक नहीं है, वह केवल राज्य सरकार की अनुमति से हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीद सकता है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह मामले दर मामले के आधार पर जांच करे कि क्या ऐसी अनुमति दी जा सकती है या नहीं। वर्तमान मामले में, उसने इस तरह की अनुमति नहीं देना सबसे अच्छा समझा। हालाँकि, हस्तांतरण का उद्देश्य वही रहता है, जो एक गैर-कृषि गतिविधि है। केवल एक कृषक को अधिकार सौंपने से, जो कृषि के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करेगा, इस अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। [पैरा 17] [461-एफ-एच; 462-ए]

डी.

ई.

च

जी.

मन्नान लाल बनाम एमएसटी। छोटाका बीबी और अन्य। (1970) 1

एससीसी 769:[1971] 1 एससीआर 253; पी. के. पलानीसामी बनाम एन. अरुमुघम और अन्न। (2009) 9 एससीसी 173:[2009] 11

एससीआर 342; गणपति हेगड़े बनाम कृष्णकुद्ध और अन्न। (2005) 13 एससीसी 539; के. सी. स्कारिया बनाम राज्य सरकार

एच.

केरल और अन्न। (2006) 2 एससीसी 285:[2006] 1 एससीआर 274;

452 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

क.

महांत बिक्रम दास चेला बनाम वित्तीय आयुक्त, राजस्व, पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य (1977) 4 एस. सी. सी. 69: [1978] 1 एस. सी. आर. 262; बासवराज और एक अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2013) 14 एस. सी. सी. 81:[2013] 8 एससीआर 227; अशोक मदन और एक अन्य बनाम

एच. पी. राज्य और अन्य 2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन एच. पी. 3885-पर निर्भर थे।

एस. वाजिद अली बनाम माउंट। इसार बानो उर्फ इसार फातिमा और अन्य।

ए. आई. आर. 1951 सभी 64-संदर्भित। निर्णीत विधि संदर्भ

ग

[1971] 1 एससीआर 253

पर भरोसा किया

पैरा 7

[2009] 11 एससीआर 342

पर भरोसा किया

पैरा 8

डी.

(2005) 13 एस. सी. सी. 539

पर भरोसा किया

पैरा **8**

[2006] 1 एससीआर 274

पर भरोसा किया

पैरा **8**

[1978] 1 एससीआर 262

पर भरोसा किया

पैरा **10**

ई.

[2013] 8 एससीआर 227

पर भरोसा किया

पैरा **10**

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार:सिविल अपील No.716 का

2023.

2018 के सीएमपीएम No.76 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.12.2018 के निर्णय और आदेश से।

च

सह

2019 का एसएलपी (सी) No.15848।

जी.

भगवती प्रसाद पाधी, राहुल शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।अजय मारवाह, आदित्य श्रीनिवासन, करण ठाकुर, तपन मस्ता, आयुष गुप्ता, सुश्री अर्चित्य द्विवेदी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

453

अजय दाब्रा बनाम प्यारे राम और ओआरएस।

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सुधांशु धूलिया, जे।

अनुमति प्रदान की गई।

2. इस न्यायालय के समक्ष ये दोनों अपीलें वादी द्वारा की गई हैं जिन्होंने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था और बाद में उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी पहली अपील को देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। हम यहाँ यह बता सकते हैं कि वादी/अपीलार्थी उस अनुबंध का पक्षकार नहीं था जिसका एक विशिष्ट निष्पादन मांगा गया था। यह अनुबंध प्रतिवादी और मैसर्स हिमालयन स्की विलेज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी के बीच निष्पादित किया गया था, जो हिमाचल प्रदेश में एक 'कृषि भूमि' की बिक्री के लिए थी। जमीन के दो भूखंड थे जिनके लिए दो अलग-अलग "बिक्री समझौते" किए गए थे, और इसलिए दो दीवानी मुकदमे दायर किए गए थे।

ग

3. उपरोक्त दोनों अपीलों में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 2018 के सीएमपी (एम) No.75 और 2018 के सीएमपी (एम) No.76 में पारित दिनांकित 17.12.2018 आदेश के खिलाफ एक साझा चुनौती है। विवादित आदेश सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत दायर विलंब माफी आवेदनों को खारिज करता है, जिसमें 254 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार किया गया है, क्योंकि माफी के लिए दिए गए कारण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे। इसमें अपीलार्थी ने पहले दो मुकदमे (एन. ओ. एस. वाले) दायर किए थे। 28/2012 और 29/2012), विशिष्ट प्रदर्शन के लिए जिसे जिला न्यायाधीश, कुल्लू द्वारा दिनांकित 30.12.2016 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

डी.

ई.

4. अपीलार्थी के अनुसार देरी को माफ कर दिया जाना चाहिए था और उसकी अपील पर उसके गुण-दोष के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए थी।

5. हमारे यहाँ जो कुछ भी है वह एक विशुद्ध नागरिक मामला है। कानून के तहत निर्धारित अवधि के भीतर एक अपील दायर की जानी चाहिए। विलम्बित अपीलों को केवल तभी माफ किया जा सकता है जब न्यायालय के समक्ष विलम्ब का पर्याप्त कारण दिखाया जाए। अपीलार्थी जो विलम्ब की क्षमा चाहता है, उसे प्रत्येक दिन की विलम्बता की व्याख्या करनी चाहिए। यह सच है कि अदालतों को देरी को माफ करते हुए अपने दृष्टिकोण में पांडित्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, और प्रत्येक दिन की देरी के स्पष्टीकरण को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन तथ्य यह है कि देरी के लिए एक उचित स्पष्टीकरण होना चाहिए। वर्तमान मामले में, इस देरी को अदालत की संतुष्टि के अनुसार नहीं समझाया गया है। पहली अपील दायर करने में 254 दिनों की देरी के लिए अपीलार्थी द्वारा दिया गया एकमात्र कारण यह था कि उसके पास अदालत की फीस का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। यह पर्याप्त कारण नहीं पाया गया

च

जी.

एच.

454

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

क.

विलंब की क्षमा के लिए क्योंकि अपीलार्थी एक समृद्ध व्यवसायी और एक होटल व्यवसायी था। किसी भी मामले में, यहां तक कि यह तर्क के लिए भी माना जाता है कि अपीलार्थी के पास धन की कमी थी, प्रासंगिक समय पर और अदालत शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं था, उसे अपील दायर करने से कुछ भी नहीं रोकता था क्योंकि कानून के तहत दोषपूर्ण अपील दायर करने का प्रावधान है, यानी एक अपील जो अदालत शुल्क के संबंध में कम है, बशर्ते अदालत द्वारा दिए गए समय के भीतर अदालत शुल्क का भुगतान किया जाए। हम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 149 का उल्लेख करेंगे जो इस प्रकार है:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“ धारा 149:न्यायालय शुल्क की कमी को पूरा करने की शक्ति।- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जहां न्यायालय शुल्क से संबंधित किसी भी समय लागू कानून द्वारा किसी दस्तावेज के लिए निर्धारित किसी शुल्क का पूरा या कोई हिस्सा भुगतान नहीं किया गया है, वहां न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर, किसी भी स्तर पर, उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा ऐसा शुल्क देय है, उस न्यायालय शुल्क का पूरा या आंशिक भुगतान करने की अनुमति दे सकता है, और ऐसे भुगतान पर दस्तावेज, जिसके संबंध में ऐसा शुल्क देय है, का वही बल और प्रभाव होगा जैसे कि ऐसा शुल्क पहली बार में भुगतान किया गया था।”

ग

डी.

इस बात पर भी जोर देने की आवश्यकता है कि इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सी. पी. सी. की धारा 149 एक अपवाद के रूप में कार्य करती है, या यहां तक कि न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 की धारा 4 के प्रावधान के रूप में भी कार्य करती है। धारा 4 के संदर्भ में, अदालत शुल्क के बिना उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर नहीं की जा सकती है, यदि वह निर्धारित है। लेकिन इस प्रावधान को सी. पी. सी. की धारा 149 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया है। सी. पी. सी. में धारा 149 को शामिल करने की एक छोटी पृष्ठभूमि इस पहलू की व्याख्या करेगी।

ई.

1 खंड 4.- उच्च न्यायालयों में उनके असाधारण क्षेत्राधिकार में दायर दस्तावेजों आदि पर शुल्क।—इस अधिनियम की पहली या दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज, जो शुल्क के साथ प्रभार्य है, दाखिल नहीं किया जाएगा, प्रदर्शित नहीं किया जाएगा या दर्ज नहीं किया जाएगा, या प्राप्त नहीं किया जाएगा या प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उक्त उच्च न्यायालयों में से किसी भी मामले में अपने असाधारण मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए; या अपने असाधारण मूल आपराधिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए; अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में।—या अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, **1** [न्यायालय के निर्णयों (न्यायालय की सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता के प्रयोग में पारित निर्णयों के अलावा) या उक्त न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों या किसी खंड न्यायालय के न्यायाधीशों की अपीलों के संबंध में; या अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, **2** [न्यायालय के निर्णयों (न्यायालय की सामान्य मूल नागरिक अधिकारिता के प्रयोग में पारित निर्णयों के अलावा) या एक] या उक्त न्यायालय के या किसी खंड न्यायालय के अधिक न्यायाधीशों की अपीलों के संबंध में; या अपने पर्यवेक्षण के अधीन न्यायालयों की अपीलों के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए; संदर्भ और संशोधन न्यायालयों के रूप में।—या संदर्भ या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए; जब तक कि ऐसे दस्तावेज के संबंध में ऐसे दस्तावेज के लिए उचित शुल्क के रूप में उक्त अनुसूचियों में से किसी एक द्वारा इंगित राशि से कम शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

च

जी.

एच.

455

अजय दाब्रा बनाम प्यारे राम और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

क.

6. न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 4 के तहत दिए गए प्रावधान को कई बार बेहद कठोर महसूस किया गया था और इस कारण से पुरानी सिविल प्रक्रिया संहिता यानी 1882 में वर्ष 1892 में एक संशोधन किया गया था जो धारा 522-ए थी जो निम्नानुसार है:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“यदि निर्णय की समीक्षा के लिए अपील या आवेदन का ज्ञापन सीमा की उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कागज पर पर्याप्त रूप से मुहर नहीं लगाई गई है, और डाक टिकट की अपर्याप्तता आवश्यक डाक टिकटों की राशि के बारे में अपीलार्थी या आवेदक की ओर से गलती के कारण हुई है, तो अपील या आवेदन पत्र का वही प्रभाव होगा, और उतना ही वैध होगा जैसे कि उस पर ठीक से मुहर लगाई गई हो।

ग

बशर्ते कि ऐसी अपील या आवेदन तब तक खारिज कर दिया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता या आवेदक अदालत द्वारा तय की जाने वाली गलती का पता चलने के बाद उचित समय के भीतर आवश्यक टिकट की आपूर्ति नहीं करता है।”

7. उपरोक्त प्रावधान को बाद में 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता में एक अलग शब्द के रूप में अधिनियमित किया गया था, जो वर्तमान में मौजूद है।

डी.

धारा 149। मन्नान लाल बनाम एमएसटी में। छोटाका बीबी और अन्य। 2 यह

न्यायालय ने सी. पी. सी. की धारा 149 और न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 4 पर विचार करते हुए, संशोधन के इतिहास का उल्लेख किया, जैसा कि हमने ऊपर कहा है, और निर्णय के अपने पैरा 12 और 13 में यह कहना था:- -प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

“12. इसलिए उपरोक्त धारा न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 4 की कठोरता को कम करती है और यह न्यायालय के विवेकाधिकार में है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को अनुमति दे जिसने कम अदालत शुल्क के साथ अपील का ज्ञापन दायर किया है ताकि कमी को पूरा किया जा सके और ऐसी कमी को पूरा करने से ज्ञापन में दोष ठीक हो जाए, उस समय से नहीं जब इसे बनाया गया था, बल्कि उस समय से जब इसे पहली बार अदालत में पेश किया गया था।

च

13. एक अपील की स्थिरता के बारे में प्रश्न पर विचार करते हुए, जब भुगतान किया गया न्यायालय शुल्क शुरू में अपर्याप्त था, लेकिन बाद में कमी को ठीक किया जाता है, तो न्यायालय शुल्क अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को एक सामंजस्यपूर्ण समग्र बनाने के लिए एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और एक में प्रावधानों को दूसरे के प्रावधानों पर प्राथमिकता देने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि एक कानून के व्यक्त शब्द स्पष्ट रूप से दूसरे के प्रावधानों पर हावी न हों।”

जी.

2 (1970) 1 एस. सी. सी. 769

एच.

456

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

8. मन्नान लाल (ऊपर) में, इस पहलू पर विस्तार से विचार किया गया था, जहां न्यायालय ने धारा 149 सी. पी. सी. और न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 4 की व्याख्या पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई फैसलों का उल्लेख किया था। इसने विशेष रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया जो

एस. वाजिद अली बनाम माउंट। इसार बानो उर्फ इसार फातिमा और अन्य। 3 जिसमें यह

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय को न्यायालय शुल्क की कमी को ठीक करने की अनुमति देने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना होगा, लेकिन एक बार ऐसा करने के बाद, एक दस्तावेज़ को उस तारीख को प्रस्तुत और प्राप्त किया गया माना जाना था जब इसे मूल रूप से दायर किया गया था, न कि उस तारीख को जब दोषों को ठीक किया गया था। इसलिए इस न्यायालय ने मन्नान लाल (उपरोक्त) मामले में आगे कहा:- “21. उस निर्णय में उपयोग किए गए शब्द निस्संदेह व्यापक महत्व के हैं। लेकिन यद्यपि हमारे समक्ष यह मामला हो सकता है कि यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि एक अपील संहिता के आदेश 41 नियम 1 के संदर्भ में प्रस्तुत की गई थी क्योंकि कानून के इस प्रावधान में अपील को प्राथमिकता देने के लिए केवल एक ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है जैसा कि उसमें निर्धारित किया गया है। यदि उस पर भुगतान की गई अदालत की फीस अपर्याप्त है तो यह अपील का ज्ञापन नहीं रह जाता है, हालांकि अदालत इसे अस्वीकार कर सकती है। यदि शुल्क में कमी को अदालत के आदेश के संदर्भ में ठीक किया जाता है, तो यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि यद्यपि दोष का उपचार कमी को ठीक करने की तारीख को होता है, लेकिन दोष को उसकी मूल स्थापना की तारीख से ठीक किया गया माना जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

22. उपरोक्त कारणों को देखते हुए, हम खुद को उच्च न्यायालय के फैसले से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं। अपील के तहत मुख्य निर्णय में, तर्क यह प्रतीत होता है कि कमी को पूरा करने से पहले अपील के ज्ञापन का कोई प्रभाव नहीं था और चूंकि यह 12 नवंबर 1962 के बाद हुआ था, इसलिए अपील को यू. पी. अधिनियम की धारा 3 (2) द्वारा सहेजा नहीं गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने यह राय व्यक्त की कि समय द्वारा वर्जित अपील का ज्ञापन उस आधार पर अलग था जिसमें भुगतान किए गए न्यायालय शुल्क में कमी थी। उनके अनुसार सीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत यह एक अपील है जिसे खारिज कर दिया जाता है न कि अपील का ज्ञापन। इसलिए जब न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 4 अपील के ज्ञापन से संबंधित है, तो सीमा कानूनों पर विचार करना न्यायालय शुल्क में कमी के लिए कोई सादृश्य नहीं है। उचित सम्मान के साथ हम उपरोक्त तर्क से प्रभावित नहीं हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है,

च

जी.

3 आकाशवाणी 1951 सभी 64 ए

एच.

457

अजय दाब्रा बनाम प्यारे राम और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता में "अपील" शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसे केवल अपील का ज्ञापन दाखिल करके ही स्थापित किया जा सकता है। इसलिए अपील का ज्ञापन दाखिल करने से एक अपील अस्तित्व में आती है; यदि ज्ञापन में न्यायालय शुल्क की कमी है, तो इसे खारिज किया जा सकता है और यदि खारिज कर दिया जाता है, तो अपील समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि इसे अस्वीकार नहीं किया जाता है और अपीलार्थी को कमी को पूरा करने के लिए समय दिया जाता है और इस अवसर का लाभ उठाया जाता है, तो संहिता की धारा 149 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि दस्तावेज़ की वैधता पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ होनी चाहिए जैसे कि कमी को पहले ही ठीक कर दिया गया हो। धारा 149 में डीमिंग प्रावधान के कारण अपील के ज्ञापन का पूर्ण बल और प्रभाव होना चाहिए और अपील को उस तारीख से लंबित माना जाना चाहिए जब यह स्टाम्प रिपोर्ट के सामने थी और उसमें उल्लिखित कमी थी।"

इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा अपने कई मामलों में दोहराया गया है।

बाद के निर्णय जैसे पी. के. पलानीसामी बनाम एन. अरुमुघम और अन्न। **4**, गणपति हेगड़े बनाम कृष्णकुद्ध और अन्न। **5** और के. सी. स्कारिया बनाम केरल राज्य सरकार और अन्न। **6**.

डी.

9. हमारे पास ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें अपीलार्थी न्यायालय शुल्क खरीदने में सक्षम न हो। उन्होंने अंततः अदालत की फीस का भुगतान किया, हालांकि देर से। लेकिन फिर, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, अपील दायर करने में देरी के लिए दिए गए कारण देरी को माफ करने का एक वैध कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपीलार्थी ऊपर निर्दिष्ट कानून के प्रावधानों के तहत अदालत शुल्क में कमी की अपील दायर कर सकता था। इसलिए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय अपीलार्थी के धारा 5 के आवेदन को खारिज करने में सही था क्योंकि अपर्याप्त धन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता था। यह पूरी तरह से एक अलग मामला होता अगर अपीलार्थी ने सी. पी. सी. की धारा 149 के संदर्भ में अपील दायर की होती और उसके बाद घाटे वाली अदालत की फीस का भुगतान करके दोषों को हटा दिया होता। जाहिर है कि ऐसा नहीं किया गया है।

ई.

च

10. यह न्यायालय, धारा 5 के दायरे पर जोर देते हुए

महांत बिक्रम दास चेला बनाम वित्तीय आयुक्त, राजस्व, पंजाब, चंडीगढ़ के मामले में सीमा अधिनियम और

जी.

अन्य **7** ने माना है:

4 (2009) 9 एससीसी 173 5 (2005) 13 एससीसी 539 6 (2006) 2 एससीसी 285 7 (1977) 4 एससीसी 69

एच.

458 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

“21. सीमा अधिनियम की धारा 5 एक कठिन कार्य है-मास्टर और न्यायिक व्याख्या ने इसे एक संकीर्ण दिशा के भीतर घेर लिया है। धारा 5 के आसपास केस-लों का एक बड़ा हिस्सा विकसित हुआ है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि किसी को उस अधिकार को आसानी से नहीं छीनना चाहिए जो समय के साथ किसी पक्ष को प्राप्त हुआ है और इसलिए एक वादी जो अपने अधिकारों के बारे में सतर्क नहीं है, उसे हर दिन की देरी की व्याख्या करनी चाहिए। ये और इसी तरह के विचार जो धारा 5 के आवेदनों के निर्णय को प्रभावित करते हैं, उन मामलों में स्थान से बाहर हैं जहां अपील को सीमा की अवधि के भीतर प्राथमिकता दी जाती है लेकिन इसे प्रस्तुत करने में अनियमितता है। इस प्रकार, तत्काल मामले में, सीमा अधिनियम की धारा 5 या उच्च न्यायालय नियमों के नियम 4, अध्याय 1 के प्रावधानों को लागू करने का कोई अवसर नहीं था। यदि डिवीजन बेंच को पता होता कि अध्याय 2-सी का नियम 3 निर्देशिका है, तो वह अपील को सीमा की अवधि के भीतर दायर किया गया मानता, जिससे यह विचार करना अनुचित हो जाता कि क्या अपील दायर करने में हुई देरी को माफ किया जा सकता है।”

ग

डी.

बसावराज और एक अन्य बनाम विशेष के मामले में यह न्यायालय

भूमि अधिग्रहण अधिकारी 8 ने पर्याप्त कारण की कमी के कारण देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करते हुए पैराग्राफ 15 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है:

“15. इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि जहां कोई मामला अदालत में सीमा से परे प्रस्तुत किया गया है, आवेदक को अदालत को यह समझाना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है एक पर्याप्त और पर्याप्त कारण जो उसे सीमा के भीतर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकता है। यदि कोई पक्ष लापरवाही करता हुआ पाया जाता है, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसकी ओर से ईमानदारी का अभाव पाया जाता है, या परिश्रमपूर्वक कार्य नहीं किया है या निष्क्रिय रहा है, तो देरी को माफ करने के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता है। किसी भी अदालत को किसी भी शर्त को लागू करके इस तरह की अत्यधिक देरी को माफ करने में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदन पर निर्णय केवल विलंब की माफी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर किया जाना है। यदि किसी वादी को बिना किसी औचित्य के समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था, तो कोई भी शर्त रखना, जो भी हो,

ई.

च

जी.

8 (2013) 14 एससीसी 81 ए

एच.

459

अजय दाब्रा बनाम प्यारे राम और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित करना और यह विधायिका की घोर अवहेलना करने के समान है।”

इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी के विलंब माफी आवेदन को खारिज करने में कोई गलती नहीं की है।

11. इसके अलावा, गुण-दोष पर भी, हम इसे ऐसा मामला नहीं पाते हैं जिसमें हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। मामले के तथ्य यह हैं कि मेसर्स हिमालयन स्की विलेज प्राइवेट लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के एक कृषक/भूमि मालिक के साथ अपनी कृषि भूमि की बिक्री के लिए 'बिक्री के लिए समझौता' किया था। अब हिमाचल प्रदेश राज्य में स्वीकृत स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (संक्षेप में '1972 अधिनियम') के तहत, केवल एक कृषक, जिसे 1972 अधिनियम की धारा 2 (2) के तहत परिभाषित किया गया है, हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीद सकता है, जिसका अर्थ होगा एक भूमि मालिक जो व्यक्तिगत रूप से हिमाचल प्रदेश में अपनी भूमि पर खेती करता है। यदि किसी गैर-कृषक को भूमि खरीदनी है, तो यह अधिनियम की धारा 118 के तहत राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। एम/एस। हिमालयन स्की विलेज एक निजी कंपनी थी, जो निश्चित रूप से एक 'कृषक' नहीं थी और इसलिए हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीदने के लिए कानून के तहत सक्षम नहीं थी और इसलिए यह बिक्री के लिए समझौते की एक शर्त थी कि प्रतिवादी एक निर्धारित अवधि के भीतर सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा। स्वीकार की गई स्थिति यह है कि यह मंजूरी राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी को नहीं दी गई थी और फिर प्रतिवादी ने अपना अधिकार वादी को सौंप दिया जिसने इसके बाद विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया।

ग

डी.

ई.

हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 इस प्रकार है:

च

“1[118.गैर-कृषकों को भूमि हस्तांतरण पर रोक:- (1) किसी भी कानून, अनुबंध, समझौते, प्रथा या उपयोग में कुछ समय के लिए इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, बिक्री विलेख, उपहार, वसीयत, विनिमय, पट्टा, कब्जे के साथ बंधक, किरायेदारी का निर्माण या किसी अन्य तरीके से भूमि का कोई हस्तांतरण (जिसमें दीवानी अदालत की डिक्री द्वारा हस्तांतरण या भूमि राजस्व के बकाया की वसूली शामिल है) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में मान्य नहीं होगा, जो कृषक नहीं है।2[स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए "भूमि हस्तांतरण" पद शामिल नहीं होगा।

जी.

एच.

460 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

आई. विरासत के माध्यम से हस्तांतरण;

ii. दानदाता या वसीयतकर्ता के किसी भी या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, उपहार के रूप में हस्तांतरण या निष्पादित किया जाएगा;

iii. नगरपालिका क्षेत्र में भूमि या भवन के पट्टे के माध्यम से हस्तांतरण;

लेकिन इसमें शामिल होंगे

क) एक बेनामी लेन-देन जिसमें एक गैर-कृषक द्वारा भुगतान या प्रदान किए गए प्रतिफल के लिए एक कृषक को भूमि हस्तांतरित की जाती है; और

ग

ख) स्वामी द्वारा विशेष या सामान्य अधिवक्ता शक्ति के माध्यम से या किसी गैर-कृषक को भूमि के कब्जे में रखने के इरादे से एक समझौते द्वारा किया गया प्राधिकरण और उसे भूमि के साथ उसी तरह से व्यवहार करने की अनुमति देता है जैसे कि वह उस भूमि का वास्तविक मालिक है।

डी.

(2) उप-धारा (1) की किसी भी बात को किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने वाला नहीं माना जाएगा या,

(ए)।

(बी)।

ई.

(सी)।

(डी)।

(ई)।

(च)।

च

(जी)।

(ज) निर्धारित उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार की अनुमति के साथ एक गैर-कृषक।"

12. स्वीकार की गई स्थिति यह है कि मैसर्स हिमालयन स्की विलेज प्राइवेट लिमिटेड 1972 के अधिनियम की धारा 118 के तहत राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने में विफल रही।

जी.

13. इसके बजाय जो किया गया वह यह था कि जब खरीदार 1972 के अधिनियम की धारा 118 के तहत राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में विफल रहा, तो उसने अपने अधिकार वादी को सौंप दिए (यानी, वर्तमान ए

एच.

461

अजय दाब्रा बनाम प्यारे राम और ओआरएस। [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी), और वादी ने बदले में प्रतिवादियों के खिलाफ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया अर्थात्, सुरेंद्र सिंह-प्रतिवादी संख्या 1 जो इसमें प्रतिवादी संख्या 1 है। बाद में ही उन्होंने मैसर्स हिमालयन स्की विलेज प्राइवेट लिमिटेड-प्रतिवादी नंबर 2 को भी शामिल किया, जो इसमें प्रतिवादी नंबर 2 है।

14. ट्रायल कोर्ट ने वादी के मुकदमों को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करना एक आवश्यक शर्त थी, जिसे उसने 1972 के अधिनियम की धारा 118 के अनुसार पूरा नहीं किया था और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, वादी के संदर्भ में असाइनमेंट उचित और वैध नहीं था। 15. बिक्री के समझौते में निर्धारित अन्य सभी शर्तें 1972 के अधिनियम की धारा 118 के तहत इस प्राथमिक शर्त यानी राज्य सरकार से अनुमति पर निर्भर करती हैं। "बिक्री के लिए समझौते" में कोई विशिष्ट खंड नहीं है, जिसमें कहा गया है कि यदि खरीदार राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो वह हिमाचल प्रदेश के एक कृषक को अपने अधिकार सौंप सकता है और इसलिए विक्रेता को ऐसे समनुदेशिनी के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

ग

डी.

16. वर्तमान मामले में असाइनमेंट वैध नहीं है क्योंकि असाइनमेंट से पहले विक्रेता की कोई पूर्व सहमति या अनुमोदन नहीं थी। ऐसी शर्त के अभाव में और इस तथ्य के बदले में कि वादी/अपीलार्थी को अपने अधिकार सौंपने से पहले विक्रेता की कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, वादी के पक्ष में विशिष्ट निष्पादन की डिक्री देने का कोई सवाल ही नहीं था। नतीजतन, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

ई.

17. हम यहाँ यह भी जोड़ सकते हैं कि 1972 के अधिनियम की धारा 118 का पूरा उद्देश्य छोटी जोत वाले किसानों की रक्षा करना है। हिमाचल प्रदेश में भूमि किसी गैर-कृषक को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, और यह एक उद्देश्य के साथ है। इसका उद्देश्य गरीब व्यक्तियों की छोटी कृषि जोत को बचाना और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के बड़े पैमाने पर रूपांतरण को रोकना भी है। एक व्यक्ति जो कृषक नहीं है, वह केवल राज्य सरकार की अनुमति से हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीद सकता है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह मामले दर मामले के आधार पर जांच करे कि क्या ऐसी अनुमति दी जा सकती है या नहीं। वर्तमान मामले में, उसने इस तरह की अनुमति नहीं देना सबसे अच्छा समझा। हालाँकि, हस्तांतरण का उद्देश्य वही रहता है, जो एक गैर-कृषि गतिविधि है। केवल एक कृषक को अधिकार सौंपकर, जो इसका उपयोग करेगा

च

जी.

एच.

कृषि के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि, उद्देश्य को विफल कर देगी

इस अधिनियम से। अशोक मदन और एक अन्य बनाम राज्य के मामले में

एच. पी. और अन्य 9 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1972 के अधिनियम की धारा 118 के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी:

“12. इसलिए, कानून स्पष्ट है कि केवल दस्तावेज का नामकरण या शीर्षक यह निर्धारित नहीं करता है कि दस्तावेज द्वारा बनाए गए अधिकार क्या हैं। पक्षकारों के इरादे को सभी दस्तावेजों के संयुक्त अध्ययन और पक्षकारों के व्यवहार पर एकत्र किया जाना चाहिए जिस तरह से उन्होंने दस्तावेज के साथ व्यवहार किया। धारा 118 को धारा में निहित निर्दिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर गैर-कृषि के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने की दृष्टि से पेश किया गया था। इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि आर्थिक रूप से लाभप्रद वर्ग छोटी ज़ोनों को खरीदकर छोटे किसानों का अनुचित लाभ न उठाए। यह प्रावधान तब पेश किया गया था जब अमीर व्यक्ति जो कृषक नहीं थे, वे स्थानीय हिमाचली लोगों का शोषण करते हुए हिमाचल प्रदेश में उच्च कीमत पर कृषि भूमि खरीद रहे थे। हालांकि, इस धारा में ही प्रावधान किया गया है कि विशेष मामलों में गैर-कृषि को भूमि हस्तांतरण के लिए अनुमति दी जा सकती है। इस धारा की संवैधानिक वैधता को श्रीमती में बरकरार रखा गया था। सुदर्शन देवी बनाम भारत संघ, आई. एल. आर. 1978 एच. पी. 355।”

ग

डी.

ई.

19. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत हम मामले में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं पाते हैं। नतीजतन, दोनों याचिकाएं खारिज हो जाती हैं।

च

देविका गुजराल

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

जी.

9 2011 एससीसी ऑनलाइन एचपी 3885

एच.